

मद सं. 55

न्यायालय सं. 1

सेक्शन जनहित याचिका

भारत का उच्चतम न्यायालय  
कार्यवाहियों का अभिलेख

रिट याचिका(सिविल)(सं.) 80/2013  
नागेन्द्र चिंदम एवं अन्य

याची(याचीगण)

बनाम

भारत संघ एवं अन्य  
(कार्यालय रिपोर्ट के साथ)

प्रत्यर्धी (प्रत्यर्धीगण)

रिट याचिका (सि.) सं. 1010/2013  
(कार्यालय रिपोर्ट के साथ)

रिट याचिका (सि.) सं. 265/2014  
(संशोधन चाहने के लिए आवेदन(नों) और निदेशों एवं कार्यालय रिपोर्ट के लिए आवेदन(नों) के साथ)

दिनांक: 14/11/2014, आज इन याचिकाओं पर सुनवाई के लिए पुकार हुई।

कोरम:

माननीय मुख्य न्यायाधीश  
माननीय श्री न्यायमूर्ति ए.के.सिकरी

याची(याचीगणों) के लिए श्रीमती उर्मिला सिरूर, एडवोकेट

श्री हरीश एन.साल्वे, सीनियर एडवोकेट  
श्री दुष्यंत दवे, एडवोकेट  
श्री हरीस बीरन, एडवोकेट  
श्री मुश्ताक सलीम, एडवोकेट  
श्री राधा श्याम जेना, एडवोकेट

प्रत्यर्धी(प्रत्यर्धियों) के लिए सुश्री मीनाक्षी अरोड़ा, सीनियर एडवोकेट  
श्री मोहित डी. राम, एडवोकेट

श्री एल.एन.राव, एएसजी  
श्री अभिनव मुखर्जी, एडवोकेट  
सुश्री मीनाक्षी ग्रोवर, एडवोकेट

परामर्शी सुनने पर न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश दिया।

## आदेश

प्रवासी निर्वाचकों द्वारा मतदान के लिए वैकल्पिक विकल्पों की व्यवहार्यता तलाशने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट रिकार्ड पर ली जाती है।

श्री एल.नागेश्वर राव, विद्वान अपर महा-सालिसिटर ने केन्द्रीय सरकार से उपयुक्त अनुदेश लेने और इस संबंध में अपने निवेदन प्रस्तुत करने के लिए चार सप्ताह के समय की मांग की है। मांगा गया समय दिया जाता है।

मामले को चार सप्ताह के बाद सूचीबद्ध किया जाए।

(जी.वी.रमण)  
कोर्ट मास्टर

(विनोद कुल्वी)  
सहायक रजिस्ट्रार

मद सं.51

न्यायालय सं.1

सेक्शन जनहित याचिका

भारत का उच्चतम न्यायालय  
कार्यवाहियों का अभिलेख

रिट याचिका(सिविल)(सं.) 80/2013

नागेन्द्र चिंदम एवं अन्य

बनाम

याची(याचीगण)

भारत संघ एवं अन्य  
(कार्यालय रिपोर्ट के साथ)

प्रत्यर्थी (प्रत्यर्थीगण)

रिट याचिका (सि.) सं.1010/2013  
(कार्यालय रिपोर्ट के साथ)

रिट याचिका (सि.) सं.265/2014  
(निदेशों के लिए एवं संशोधन तथा कार्यालय रिपोर्ट चाहने के लिए आवेदन(नों) के साथ)

दिनांक: 12/01/2015, आज इन याचिकाओं पर सुनवाई के लिए पुकार हुई।

कोरम:

माननीय मुख्य न्यायाधीश  
माननीय श्री न्यायमूर्ति ए.के.सिकरी

याची(याचीगणों) के लिए श्रीमती उर्मिला सिरूर, एडवोकेट

श्री दुष्यंत ए. दवे, एडवोकेट  
श्री हरीस बीरन, एडवोकेट  
श्री मुश्ताक सलीम, एडवोकेट  
श्री राधा श्याम जेना, एडवोकेट

प्रत्यर्थी(प्रत्यर्थियों) के लिए सुश्री मीनाक्षी अरोड़ा, सीनियर एडवोकेट

श्री मोहित डी. राम, एडवोकेट  
श्री वासव अनंतरमण, एडवोकेट

श्री पी.एस.नरसिम्हा, एएसजी  
श्री के. राधाकृष्णन, सीनियर एडवोकेट  
सुश्री मीनाक्षी ग्रोवर, एडवोकेट  
श्री अभिनव मुखर्जी, एडवोकेट

श्री बी.वी. बलराम दास, एडवोकेट

परामर्शी सुनने पर न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश दिया।

### आदेश

श्री पी.एस. नरसिम्हा, विद्वान अपर महा-सालिसिटर, अनुदेशों पर, प्रस्तुत करेंगे कि प्रत्यर्थियों ने निर्वाचन आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को अक्षरशः मान लिया है। वह यह भी प्रस्तुत करेंगे कि उन सुझावों को अल्प अवधि के भीतर क्रियान्वित करने के लिए आगे कदम उठाए जाएंगे। इसलिए, श्री नरसिम्हा हमसे अनुरोध करेंगे कि आठ सप्ताह का समय दिया जाए। विद्वान अपर महा-सालिसिटर का अनुरोध तर्कसंगत प्रतीत होता है।

सभी मामलों को आठ सप्ताह के बाद प्रस्तुत किया जाए।

**2014 की रिट याचिका(सि.) सं.265 में आई.ए.सं.3**

नोटिस।

श्रीमती मीनाक्षी अरोड़ा, विद्वान सीनियर काउंसिल से अनुरोध है कि वे आई.ए.नं.3 पर नोटिस लें। उत्तर, यदि कोई हो, तो चार सप्ताह के समय में दाखिल किया जाए।

[चरणजीत कौर]  
कोर्ट मास्टर

[विनोद कुल्वी]

सहायक रजिस्ट्रार